

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

पत्रांक 902 अमृ

रक्सौल / दिनांक 02/07/2024

प्रेषक :- कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।


सेवा में,
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेन्सी,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- नाबार्ड पाँच व्षीय रूटीन अनुरक्षण कार्य मद योजना अन्तर्गत आवंटन निर्गत करने हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय,
उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा नाबार्ड अन्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार आवंटन अधियाचना संबंधित प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।
2.7.24

FORM GFR 19A

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)
Form of Utilisation Certificate up to the month of March-2024
NABARD (Five Years Routine Maintenance)



Sl. No.	Name of Scheme	Selection No. of Date with Amount (in Rs. In Lacs)	Amount Received by CFMS (in Rs. In Lacs)	Particulars
1	Raxaul Prakhand ke N.H Nayka Tola (Raxaul) to Hardiya Gaon via Madhya Vidyalaya Hardiya tak under NABARD	-	-	Certified that out of Rs.0.0 Lacs received favour of Executive Engineer, R.WD. Works Division, Raxaul. A sum of Rs. <u>0.0</u> Lacs has been utilised for the purpose of Raxaul Prakhand ke N.H Nayka Tola (Raxaul) to Hardiya Gaon via Madhya Vidyalaya Hardiya tak under NABARD Scheme as given in the margin or whichever sanctioned and that the balance Rs. <u>NIL</u> Lacs remaining unutilised at the end of the period under.

- 2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilised for the purpose for which it was sanctioned.

Kinds of exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
 - Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
 - Construction Material have been testes.
 - Measurement have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant.
 - All other codal formalities have been observed.
- 3 Physical Progress achieved :-
- Construction of Road Works.
 - Construction of CD Works.

D.A.O.
Rural Works Department,
Works Division, Raxaul


Executive Engineer,
Rural Works Department,
Works Division, Raxaul


NABARD के लिए अनुरक्षण मद की राशि से संबंधित अधियाचना प्रपत्र

कार्य प्रमंडल का नाम :- रक्सौल

कार्य प्रमंडल का नाम :- रक्सौल																									
क्रमांक	कार्य प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	एकराशनामा के अनुसार प्राक्कानित राशि वर्षवार					कुल राशि (लाख में)	व्यय की राशि वर्षवार					कुल राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग दिनांक (लाख में)	पंचवर्षीय अनुसंधान की राशि सहित अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (लाख में)	अनुसंधान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति का पत्रांक/ दिनांक	मूल निर्माण कार्य करने की वास्तविक तिथि	वर्तमान अधियाचित राशि						
			प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	द्वितीय वर्ष वर्ष राशि (लाख में)	तृतीय वर्ष वर्ष राशि (लाख में)	चतुर्थ वर्ष वर्ष राशि (लाख में)	पंचम वर्ष वर्ष राशि (लाख में)		प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	द्वितीय वर्ष वर्ष राशि (लाख में)	तृतीय वर्ष वर्ष राशि (लाख में)	चतुर्थ वर्ष वर्ष राशि (लाख में)	पंचम वर्ष वर्ष राशि (लाख में)						प्रथम वर्ष राशि (लाख में)	द्वितीय वर्ष वर्ष राशि (लाख में)	तृतीय वर्ष वर्ष राशि (लाख में)	चतुर्थ वर्ष वर्ष राशि (लाख में)	पंचम वर्ष वर्ष राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Raxaul	Raxaul Prakhanda ke Raghaunta Mukhya Mantri Setu to Bhairwa Tola (Adapur) PM GSY Path tak	0.56014	1.53799	3.63634	2.12647	2.40495	10.26589	-	-	-	-	-	0	रु 78 860 लाख पत्रांक-1761 दिनांक-04.05.2020	11.23	पत्रांक-1761 दिनांक-04.06.2020	06.06.2022	0.48605	0.62793					1.11398
TOTAL																							1.11398		

प्रमाणित किया जाता है कि :-

- (1) कार्य विवरणों के अनुरूप पूर्ण कर लिया गया है।
- (2) पथ में MQMU/PQM/IE से संबंधित कोई सुधार प्रतिवेदन लंबित नहीं है।
- (3) अनुमोदित परिमाण विपत्र की कुल राशि प्रशासनिक स्वीकृति की की राशि से 20% अधिकतम सीमा के भीतर है साथ ही अनुमोदित परिमाण के मदों की मात्रा का विस्तार का
- (4) अनुसंधान-प्रशासनिक स्वीकृति का पत्र, अनुमोदित परिमाण विपत्र एवं एकराशनामा की अभिप्रमाणित प्रति।

27/6/24
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा, रक्सौल।

27/6/24
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, रक्सौल।

प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, रक्सौल

27/6/24
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल
27/6/24